म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, अरेरा हिल्स,किसान भवन,जेल रोड, भोपाल

क/मंडी/प्रां/3/1/ब/पार्ट/मुरैना/ 2538 भोपाल, दि. 12/01/2018

प्रति,

सचिव
कृषि उपज मंडी समिति
मुरैना जिला मुरैना,
(म0प्र0)

विषय :– केन्द्रीय भण्डार निगम को कृषि उपज मण्डी समिति, मुरैना में दी गई भूमि की लीज नवीनीकरण के संबध में।

संदर्भ– आपका पत्र कमांक/नि./508 दिनांक 20.9.2017

----00----

आपके द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से कृषि उपज मण्डी समिति, मुरैना के मंडी प्रांगण में केन्द्रीय भंडार निगम को भूमि 30 वर्ष की लीज अवधि पर आवंटित की गई थी, जिसकी लीज अवधि समाप्त होने पर लीज नवीनीकरण के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है।

म.प्र. कृषि उपज मण्डी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम 2009 के नियम 3 (3) में भूमि एवं संरचना का आवंटन सामान्यतः 30 वर्ष की कालावधि के लिये अनुज्ञप्ति पर किया जायेगा पट्टे पर नही प्रावधानित है। अनुज्ञप्ति का नवीकरण और अभ्यर्पित करने के संबंध में नियम 16 के अंतर्गत निम्नानुसार प्रावधान हैः–

"(1) मण्डी समिति, अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर सामान्यतः अनुज्ञप्ति के नवीकरण की अनुज्ञा देगी, यदिः–
(क) उसके ऊपर कोई देय बकाया नही है, और
(ख) उसने अनुबन्ध की किसी शर्त का अतिक्रमण नहीं किया है,

तथापि, अनुज्ञप्ति के नवीकरण के प्रत्येक अवसर पर मण्डी समिति अनुबन्ध में ऐसी नई शर्ते समाविष्ट कर सकेगी जो उसकी राय में मण्डी प्रांगण के विकास और उचित प्रबंधन के लिये आवश्यक हों, इस संबंध में मण्डी समिति का विनिश्चय अन्तिम तथा अनुज्ञप्तिधारी पर बाध्यकारी होगा.

(2) उस दशा में जब अनुज्ञप्तिधारी, उसे आवंटित भूमि/संरचना को अनुज्ञप्ति की समाप्ति के पूर्व अभ्यर्पित (सेरेण्डर) करने की इच्छा रखता है, तो वह मण्डी समिति को दो मास की सूचना देकर, ऐसा कर सकेगा.

(3) अनुज्ञप्ति का नवीकरण न किये जाने या किसी कारण से अनुज्ञप्ति रद्द किये जाने या अनुज्ञप्ति अभ्यर्पित किये जाने की दशा में तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मण्डी समिति को आवंटित भूमि/संरचना का रिक्त कब्जा परिदत्त किये जाने पर, उसकी 'सुरक्षा निक्षेप' को उसके ऊपर बकाया देय का समायोजन करने के पश्चात् उसे लौटा दिया जाएगा, यदि संरचना का संनिर्माण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वयं कराया गया हो, तो उसे संरचना की 'अनुमानित वर्तमान मूल्य' का भी भुगतान किया जाएगा."

उपरोक्त विहित प्रावधानों के अंतर्गत अनुज्ञप्ति नवीनीकरण के लिये मंडी समिति का विनिश्चय अंतिम है।

मण्डी प्रांगण में आवंटित भूमि की लीज नवीनीकरण के संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 579 दिनांक 05.07.2016 द्वारा निर्देश जारी किये गये है जिसकी छायाप्रति संलग्न है, तदानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न'– उपरोक्तानुसार

प्रबंध संचालक, सह–आयुक्त
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क/मंडी/प्रां/3/1/ब/पार्ट/मुरैना/2539 भोपाल, दि. 12/01/2018

प्रतिलिपि–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. संयुक्त/उप संचालक, आंचलिक कार्यालय..........................की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति ....जिला......................... (समस्त) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

12/1/18

प्रबंध संचालक, सह–आयुक्त
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

O/C

म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड़, भोपाल

क्रमांक/मंडी/प्रांगण/24/2/ब/पार्ट–3/579 भोपाल, दिनांक 05/07/2016

प्रति,

सचिव
कृषि उपज मंडी समिति
..............................जिला......................
(समस्त)

विषय :– मंडी प्रांगण में आवंटित भूमि के लीज नवीनीकरण के संबंध में।

—000—

प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों के मंडी प्रांगण/उपमंडी प्रांगण में राज्य भण्डार गृह निगम, केन्द्रीय भण्डार गृह निगम एवं अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं एवं अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को उनकी मांग अनुसार भूमि/निर्मित संरचना 30 वर्ष की अवधि के लिये लीज पर तत्समय प्रचलित नियमों के तहत मंडी समिति द्वारा दी गई थी।

उक्त भूमि/निर्मित संरचना की लीज अवधि समाप्त होने पर म०प्र० कृषि उपज मंडी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम, 2009 में विहित प्रावधानों के तहत आगामी कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।

(अरुण पाण्डेय)
प्रबंध संचालक
म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

पृ.क./मंडी/प्रांगण/24/2/ब/पार्ट–3/580 भोपाल,दिनांक 05/7/2016

प्रतिलिपि :–

अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक, म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय ....समस्त की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रबंध संचालक
म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल